

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1575/2024

दिनांक 24.04.2024

श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ01109) तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) हाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) को दिनांक 11.03.2024 से 28.03.2024 तक 18 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 29.03.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/97/2016/3100

दिनांक 24.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 969 दिनांक 02.04.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ01109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)।

सहायक रजिस्ट्रार